

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** Rohtak **PS:** SVB (H) ROHTAK **Year:** 2015 **FIR No:** 43 **Date:** 03-07-2015

2. **Act(s):** **Section(s)**

(i) IPC 420 IPC

(ii)

(iii)

(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** शुक्रवार **Date From:** 03-07-15 **Date To:** : 03-07-15

Time Period: **Time From:** **Time To:**

(b) **Information received at P.S: Date:** **Time:**

(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 15 **Time:** 07:00 A.M.

4. **Type of Information:** WRITTEN Insp. अजायब सिंह SVB RTK

5. **Place of Occurrence:** (a) **Direction and Distance from P.S.:** **Beat No.:**

(b) **Address:**

(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**

Name of P.S: **District:** Rohtak

6. **Complainant/Informant:**

a. **Name :** नि० अजायब सिंह

b. **Birth year:** **Nationality:** INDIAN

c. **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**

d. **Occupation:**

e. **Address:** रा०चौ०ब्यू० रोहतक ।

7. **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

चांद किशोर, मुख्य अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय 20वां मील सोनीपत ।

8- Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

कोई देरी नहीं

9- Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

Sl.No.	Property Type(Description)	Est. Value(Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10- Total value of property stolen:

11 Inquest Report/U.D Case No., if any

12 F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

सेवा में, श्री मान जी, तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 2 दिनांक 20.02.15 मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 63/25/2015-1/चौकसी -2 दिनांक 12.02.15 व निदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्र० 2687/आई-1/रा०चौ०ब्यूरो (ह०) दिनांक 20.05.15 अनुसार श्री बलबीर सिंह रोहिल्ला (क्राइम रिपोर्ट) 5/349 अमर कालौनी, OPP रेलवे स्टेशन सोनीपत की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक, रा०चौ०ब्यूरो, रोहतक की देख-रेख में श्री राजीव कुमार निरीक्षक, रा०चौ०ब्यूरो उपकेन्द्र सोनीपत द्वारा की गई थी। जिसमें अन्य आरोपों के इलावा यह भी आरोप था कि मुख्याध्यापक चांद किशोर ने फर्जीवाडा के तहत दो-दो रेगुलर कोर्स (जे०बी०टी० व बी०एस०सी० डिग्री) अपने शातिर दिमाग से दो-दो शिक्षण संस्थाओ में एक ही समय में दाखिला लेकर बिना कक्षा में उपस्थित हुये दोनो डिग्रीयां हासिल की। इन दोनो डिग्रीयों के बलबूते पर ही शिक्षा विभाग की आखों में धूल झोंक कर अनुचित तरीके से पहले जे०बी०टी० अध्यापक का पद ग्रहण किया बाद में पदोन्नति पर विज्ञान अध्यापक के पद पर व प्रवक्ता (Lecturer) तथा उसके बाद मुख्यध्यापक के पद पर पहुंचने में सफल रहा। जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रतिवादी चांद किशोर द्वारा जुलाई 1988 में बी०एस०सी० प्रथम वर्ष व अप्रैल 1990 में बी०एस०सी० द्वितीय वर्ष हिन्दू कालेज सोनीपत से नियमित दाखिला लेकर परीक्षा दी जानी पाई गई जिसमें उसकी 75 प्रतिशत हाजिरी थी। प्रतिवादी चांद किशोर द्वारा दिनांक 1.2.1990 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बीसवाँ मील, सोनीपत में भी जे०बी०टी० में नियमित दाखिला लिया जाना पाया गया जिसमें उसकी 75 प्रतिशत हाजिरी नियमित कक्षाये लगाकर पूर्ण करके परीक्षा देनी पाई गई। जबकि प्रतिवादी द्वारा इसी अवधी यानी अगस्त 1991 के दौरान सी०आर०ए० कालेज सोनीपत में बी०एस०सी० तृतीय वर्ष में बतौर रेगुलर विद्यार्थी दाखिला लिया। जिसमें उसकी 75 प्रतिशत हाजिरी नियमित कक्षाये लगाकर पूर्ण करके परीक्षा देनी पाई गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी चांद किशोर द्वारा वर्ष 1990 व 1991 में

बी०एस०सी० द्वितीय वर्ष, बी०एस०सी० तृतीय वर्ष व जे०बी०टी० प्रथम व द्वितीय वर्ष में बतौर रैगुलर विद्यार्थी दाखिला लेकर परीक्षाएं दी जानी पाई गई तथा इन्ही प्राप्त किये गये डिप्लोमा व डिग्री के आधार पर दिनांक 12.03.1994 को बतौर जे०बी०टी० अध्यापक व दिनांक 1.09.1997 को बतौर विज्ञान अध्यापक नियुक्तियां ग्रहण की जानी पाई गई। जो जांच पूर्ण करके महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह०) पंचकुला के माध्यम से मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई, जिन्होंने अपने आदेश क्रमांक 63/25/15-चौकसी (II) दिनांक 3.06.15 द्वारा चांद किशोर मुख्याध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय, 20वाँ मील सोनीपत के विरुद्ध धारा 420 भा०द०स० के तहत अभियोग अंकित किये जाने के आदेश दिये, जिस पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज बरखिलाफ चांद किशोर रजिस्टर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन व Mail द्वारा सूचित किया जाये तथा माननीय न्यायालय को भी सूचना भिजवाई जावे। मुकदमा हजा में दौराने तफतीश अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी शामिल तफतीश किया जाये। आगामी तफतीश हेतू I/O नियुक्त करवाकर नकल मिशल पुलिस व असल तहरीर मय समस्त जांच रिकार्ड I/O के हवाले किया जावे। हस्ता अग्रेजी Ajayab प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक अज थाना:- आमदा तहरीर पर मु० बा जुर्म दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की प्रतियां तैयार की गई अफसरान बाला को बजरीया टैलीफोन/Mail द्वारा सूचित किया गया माननीय न्यायालय को भी सूचना भिजवाई जावेगी मु० हजा की तफतीश SP /SVB/RTK द्वारा मन नि० को मार्क किये जाने उपरान्त नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर व समस्त जांच रिकार्ड प्राप्त किया गया।

13 Action Taken (Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation

OR

(ii) Directed(Name of the I.O.):

No.:

Rank:

to take up the investigation,OR

(iii) Refused investigation due to:

OR

(iv) Transferred to P.S.(name):

On point of jurisdiction:

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name – AJAIB SINGH
Rank: Insp. No. H/ 10

15. **Date and Time of despatch to the court:**